# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

**(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)**

**अपील संख्याः—60 / 2025 / 223 आर.टी.एक्ट (2025 / 60)**

1. छोटी देवी पत्नि श्री लखमा उर्फ लक्ष्मण, जाति मीना।
2. रामेश्वर पुत्र श्री लखमा उर्फ लक्ष्मण, जाति मीना।
3. मु0 कमलेश पुत्री श्री लखमा उर्फ लक्ष्मण, जाति मीना।
4. मुन्नी पुत्री श्री लखमा उर्फ लक्ष्मण, जाति मीना।
5. श्रीमती सीमा पत्नि श्री परमेश पुत्र श्री लखमा उर्फ लक्ष्मण, जाति मीना
6. जयनारायण नाबालिग पुत्र परमेश जाति मीना
7. कुमारी कोमल नाबालिग पुत्री परमेश जाति मीना
8. कुमारी दुर्गा नाबालिग पुत्री परमेश जाति मीना जरिए वली माता श्रीमती सीमा पत्नि श्री परमेश मीना सभी निवासी गिरवरपुरा (नापाखेडा) तहसील सावर जिला अजमेर।

**अपीलांट्स**

**बनाम**

1. तेजाराम पुत्र श्री सुक्खा, जाति मीना, निवासी गिरवरपुरा (नापाखेडा) तहसील सावर जिला अजमेर।
2. राज्य सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार, सावर जिला अजमेर।
3. श्रीमान मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सावर।

**रेस्पोडेंटस**

**अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 18.05.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी राजस्व वाद संख्या 69 / 2019 (2019 / 00072).**

**उपस्थितः—**

1. श्री शिवप्रकाश चौधरी अभिभाषक अपीलांट
2. श्री रामस्वरूप यादव अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 3
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2
4. रेस्पोडेंट संख्या 1 अनुपस्थित

## निर्णय

**दिनांकः—29.09.2025**

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 69 / 2019 (2019 / 00072) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.05. 2022 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88 एवं 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी, केकडी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम नोटिस जारी किए गए जिस पर प्रतिवादीगण उपस्थित हुए परंतु प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब प्रस्तुत नहीं किया व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा

जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस सुनते हुए प्रकरण में दिनांक 18.5.2022 को निर्णय पारित किया जाकर वाद को डिक्री किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 69/2019 (2019/00072) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.05.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 1 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायोचित रूप से प्रार्थीगण का वाद डिक्री किया गया था परन्तु सहवन से वाद पत्र की अंतिम प्रार्थना में सहवनवश राधाकिशन पुत्र सुखा (नाऔलाद फौत) का नाम विलोपित करने बाबत् प्रार्थना नहीं की गयी थी जिससे राजस्व रिकार्ड में (जमाबन्दी) मृतक राधाकिशन पुत्र सुक्खा का नाम दर्ज है। चूंकि निर्णय व डिक्री की पालना बाबत तहसीलदार भू–अभिलेख सावर द्वारा मृतक राधाकिशन के बाबत् डिक्री में नाम विलोपित करने का आदेश नहीं होने से प्रार्थीगण ने काफी प्रयास किये। इसी प्रकार श्रीमान जिला कलक्टर के समक्ष भी अपील प्रस्तुत की इस प्रकार काफी प्रयास किए जाने में काफी समय व्यतीत हो गया तत्पश्चात विधिक सलाह लिए जाने पर अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त न्यायालय की डिक्री संशोधित कराने बाबत् कानूनी सलाह दी तत्पश्चात अविलम्ब उपरोक्त अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। जिसमें हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाना न्यायहित में अनिवार्य है। मियाद अधिनियम प्रक्रियात्मक अधिनियम होने से प्रक्रिया के तहत एवं तकनीकी के आधार पर किसी भी पक्षकार को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता इसलिए उपरोक्त अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना न्यायहित में अनिवार्य है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया।

***न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2002(1) के अनुसार परिसीमा अधिनियम 1963– धारा–5 विलम्ब का उपशमन–विलम्ब, उपशमन के प्रश्न पर विचार***

***करते समय सर्वप्रथम न्यायालय को मामले के गुणावगुण पर विचार करना चाहिए–यदि मेरिट पर मामला अच्छा है तो विलम्ब माफ कर दिया जाना चाहिए।***

हम प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक प्रतीत होते हैं, ऐसी स्थिति में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं। *अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।*

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, केकडी के समक्ष अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत वाद के पेज संख्या 2 के बिंदु संख्या 3 में स्पष्ट रूप से यह अंकित किया था कि उपरोक्त विवादित आराजी मुतनाजा को दिनांक 20.6.1998 को प्रतिवादी संख्या 1 तेजाराम पुत्र सुक्खा एवं राधाकिशन पुत्र सुक्खा जाति मीना निवासी गिरवरपुरा से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था एवं विक्रेता राधाकिशन पुत्र सुक्खा नाऔलाद फौत हो चुका है जिसका एक मात्र वारिस प्रतिवादी संख्या 1 ही है परंतु वाद पत्र की प्रार्थना में मृतक राधाकिशन पुत्र सुक्खा का नाम विलोपित करने बाबत प्रार्थना सहवन से अंकित नहीं हुई थी ऐसी स्थिति में राजस्व रिकार्ड में तहसीलदार द्वारा राधाकिशन पुत्र सुक्खा का नाम तर्क नहीं किए जाने से उपरोक्त अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। चूंकि वाद पत्र की मंशा सही थी परंतु वाद पत्र की प्रार्थना में उपरोक्त तथ्य अंकित करने से रह गए थे। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.05.2022 को संशोधित किया जाना न्यायहित में अनिवार्य है। उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा पारित निर्णय में उन्होंने विक्रय पत्र में खरीदशुदा संपूर्ण भूमि का खातेदार घोषित किया गया परंतु सहवन से वाद पत्र की प्रार्थना में राधाकिशन पुत्र सुक्खा का नाम विलोपित किए जाने की प्रार्थना नहीं किए जाने से उपरोक्त निर्णय व डिक्री की संपूर्ण पालना नहीं हो सकती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.5.2022 को संशोधित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.5.2022 की अनुपालना बाबत तहसीलदार भू–अभिलेख सावर को लिखा गया जिस पर दिनांक 19.11.2024 को तहसीलदार भू–अभिलेख निरीक्षक सावर ने रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अंकित किया कि बिंदु संख्या 2 में मृतक राधाकिशन पुत्र सुक्खा का हिस्सा 1/4 के स्थान पर वादीगण के अमल हेतु कथन किया गया है इसके संबंध में निवेदन है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.5.2022 में कहीं भी राधाकिशन पुत्र सुक्खा के हिस्सा 1/4 के नाम विलोपित का अंकन नहीं है इसलिए राजस्व रिकार्ड में राधाकिशन पुत्र सुक्खा का नाम बदस्तूर रखा गया। यह कहते हुए रिपोर्ट प्रेषित की गई। इसलिए उपखण्ड अधिकरी, केकडी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.05.2022 को संशोधित किया जाकर राधाकिशन पुत्र सुक्खा का नाम तर्क किए जाने के आदेश दिया जाना न्यायहित में अनिवार्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील

अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 69/2019 (2019/00072) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.05.2022 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 3 ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि वाद पत्र का पैरा संख्या 1 राजस्व रिकार्ड से संबंधित है वादपत्र का पैरा संख्या 2,3,4,6,7 गलत व अस्वीकार है वाद पत्र का पैरा संख्या 5 में प्रतिवादी संख्या 1 ने ऋण लेना स्वीकार है वादपत्र का पैरा संख्या 8, 9 कानूनी है। जवाब आवश्यक नहीं है प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वयं के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कृषि आराजी को रहन रखकर ऋण प्राप्त किया है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के स्वयं के नाम दर्ज आराजी को रहन रखने के उपरांत ही उक्त प्रतिवादी संख्या 1 को प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा ऋण अदा किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उसके नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कृषि आराजी को रहन रखकर ऋण प्रतिवादी संख्या 3 से प्राप्त किया गया था जिसका संपूर्ण भुगतान वादीगण अथवा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा मय ब्याज के चुकता कर दिया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा रहन रखी गई आराजी को ऋण मुक्त कर दिया जाएगा। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट/वादीगण द्वारा वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में नोटिस जारी कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 जरिए अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जवाब बंद किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा प्रकरण में उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक 18.05.2022 को स्वीकार किया जाकर प्रकरण में निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.05.2022 की पालना सुनिश्चित नहीं होने से वादी/अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

पत्रावली पर उपलब्ध पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 20.06.1998 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात को रेस्पोडेंट संख्या 1 तेजाराम पुत्र सुक्खा एवं राधाकिशन पुत्र सुक्खा जाति मीना निवासी गिरवरपुरा से अपीलांट के पूर्वज लक्ष्मण पुत्र कजोड द्वारा खरीद किया गया था तथा विक्रेता राधाकिशन पुत्र सुक्खा नाऔलाद फौत हो चुका है जिसके पश्चात एक मात्र वारिस रेस्पोडेंट संख्या 1 ही है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2073–2076 के खाता संख्या नया 80 के खसरा नम्बर 312 रकबा 0.8200 में रेस्पोडेंट संख्या 1 व मृतक राधाकिशन पुत्र सुक्खा का राजस्व रिकार्ड में 1/4 हिस्सा दर्ज है। जबकि राधाकिशन का मृत्यु प्रमाण पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है जिसके अनुसार उसकी मृत्यु दिनांक 18.08.2008 को ही हो चुकी थी परंतु अपीलांट/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में मृतक

राधाकिशन पुत्र सुक्खा का नाम विलोपित करने बाबत प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किए जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.05.2022 में राधाकिशन का नाम विलोपित नहीं किया जा सका जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय की संपूर्ण पालना नहीं हो सकी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.05.2022 की अनुपालना बाबत तहसीलदार भूअभिलेख सावर को लिखा गया जिस पर दिनांक 19.11.2024 को तहसीलदार भू अभिलेख सावर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि मृतक राधाकिशन पुत्र सुक्खा के 1/4 हिस्से को विलोपित किए जाने का अंकन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में कहीं भी नहीं है इसलिए राजस्व रिकार्ड में राधाकिशन पुत्र सुक्खा का नाम बदस्तूर रखा गया इस आधार पर उक्त निर्णय व डिक्री की तत्समय पूर्ण पालना नहीं हो सकी। चूंकि अपीलांट्स द्वारा उक्त आराजीयात को जरिए पंजीबद्ध विक्रय पत्र के माध्यम से खरीद किया गया है व सहवन से उनके द्वारा अपने वाद पत्र में मृतक राधाकिशन पुत्र सुक्खा का नाम विलोपित करवाए जाने बाबत कोई रिलीफ नहीं मांगी गई। अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अपीलांट्स उक्त आराजीयात के खातेदार/काश्तकार है व अपीलांट्स द्वारा चाहा गया अनुतोष प्रदान करने के अधिकारी पाए जाते है। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किए जाने योग्य प्रतीत होती है।

10. अतः अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 69/2019 (2019/00072) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.05.2022 में संशोधन किया जाता है कि मृतक राधाकिशन पुत्र सुक्खा का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित कर अपीलांट्स का नाम दर्ज किए जाने हेतु राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है, तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित शेष निर्णय व डिक्री दिनांक 18.05.2022 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

**(रामचन्द्र)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**

11. निर्णय आज दिनांक 29.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

**(रामचन्द्र)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**